फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी :–श्री कृष्णपालसिंह बनाम विपक्षी :– श्री राज्य सरकार जरिये तहसीलदार कानोड वगैरह

किस्म मुकदमा – 128 भू.राजस्व अधिनियम पत्रावली संख्या : 109/23

क्रमांक	कार्यवाही विवरण
	दिनांक : 29.10.2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। राजपेरोकार उपस्थित। प्रकरण में विपक्षी संख्या 4, 5 की तरफ से अधिवक्ता श्री मोहम्मद साजिद द्वारा वकालत पत्र प्रस्तुत किया गया। शामिल फाईल रहें। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 4, 5 द्वारा पत्थरगढी किये जाने पर कोई आपत्ती नहीं जताई। विपक्षी संख्या 1 द्वारा जवाब नहीं देना चाहा। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थनाग्रस्त भूमि के प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार होकर आधिपत्यधारी हैं। प्रार्थनाग्रस्त भूमि का सीमाकंन व पत्थरगढी नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद की संभावना रहती है साथ ही प्रार्थी अपनी कृषि भूमि का विकास भी नहीं कर पा रहें हैं जिससे प्रकरण में पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया। विपक्षी संख्या 4, 5 द्वारा पत्थरगढी किये जाने पर कोई आपत्ती नहीं जताई। शेष विपक्षीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया गया। हमने पाया की प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण खातेदार हैं। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बताया गया कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की भूमि के बीच पक्का पुख्ता सीमांकन नहीं होने से सीमा संबंधित विवाद रहता है जिससे प्रार्थीगण सीमांकन कराना चाहते है। अतः विवाद समाप्ति के लिए प्रकरण में पत्थरगढी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता हैं।

—: **आदेश** :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा गढपुरा पटवार हल्का अमरपुरा(जागीर), तहसील कानोड जिला उदयपुर की जमाबंदी 2078–81 की परिशिष्ट (क) की खाता संख्या नया 16 की आराजी न. 186, 187 किता 02 रकबा 0.4700 है. भूमि, परिशिष्ट (ख) की खाता संख्या नया 17 की आराजी न. 234/220 रकबा 0.6000 हैं. भूमि, परिशिष्ट (ग) की खाता संख्या नया 19 की आराजी न. 189, 190, 219, 220, 233/220, 31, 32, 33, 33, 34 से 42, 46 से 52, 54, 55, 92 किता 27 रकबा 3.1800 है. भूमि, परिशिष्ट (घ) की खाता संख्या नया 18 की आराजी न. 140 किता 01 रकबा 0.3500 है. भूमि, परिशिष्ट (ङ.) की खाता संख्या नया 11 की आराजी न. 168, 242/139 किता 02 रकबा 0.3400 है. भूमि, परिशिष्ट (च) की खाता संख्या नया 25 की आराजी न. 176 किता 01 रकबा 0.1300 है. भूमि, परिशिष्ट (छ) की खाता संख्या नया 26 की आराजी न. 139, 223/69 किता 02 रकबा 0.6000 है. भूमि, परिशिष्ट (ज) की खाता संख्या नया 2 की आराजी न. 238/220, 239/219 किता 02 रकबा 0.3300 है. भूमि की चारो दिशाओं सीमा की पत्थरगढी कर सीमाकंन कराया जावें। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार कानोड को 1000/– एक हजार रूपया कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करें। उक्त पत्थरगढी किसी प्रकार का कब्जा प्राप्त करने से संबंधित नहीं है। अतः यदि उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा नहीं है तो प्रार्थीगण कब्जा प्राप्ति हेतु सक्षम न्यायालय से राहत प्राप्त करें। तहसीलदार सुनिश्चित करें कि पत्थरगढी के दौरान कब्जा प्राप्ति की कार्यवाही न हो। पालना हेतु तहसीलदार कानोड को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। फीस कमिश्नर राशि का भुगतान प्रार्थीगण अदा करेंगें।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.05.19 12:55:28 IST
Reason: SelfAttested